साहिती और अन्य

बनाम

चांसलर- डाॅ. एन.टी.आर स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय और अन्य

(सिविल अपील संख्या 6202/2008)

22 अक्टूबर 2008

(के.जी. बालाकृष्णन, सीजेआई, पी. सदाशिवम और जे. एम. पांचाल, जे जे.)

एन.टी.आर. स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम 1986

धारा 12(2) और (3)-उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन का आदेश देने की कुलपति की शक्ति- एम.बी.बी.एस प्रथम वर्ष की परीक्षा सितम्बर/अक्टूबर 2006- बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को 'असफल' घोषित किया गया अनुचित मूल्यांकन और प्रश्नों के पाठ्यक्रम से बाहर होने की शिकायतें-कुलपति ने उन परीक्षार्थियों की उत्तरपुस्तिकाओं के पुनः सत्यापन का आदेश दिया, जिन्होंने अंको के पुनर्योग के लिये आवेदन किया था- अभिनिर्धारित:- कुलपति के पास विश्वविद्यालय के मामलों से संबंधित उचित कार्यवाही करने की शक्ति है, जिसमें परीक्षाओं का आयोजन भी शामिल है। उनके पास किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिये

आपातकालीन शक्तियाॅं भी हैं- उच्च न्यायालय की खण्डपीठ का यह मानना सही नहीं था कि कुलपति के पास उत्तर पुस्तिका के पुनः सत्यापन का आदेश देने की कोई शक्ति/क्षेत्राधिकार नहीं है- हालांकि, तथ्यों के आधार पर, चूंकि कुलपति ने छात्रों एवं उनके अभिभावकों के दबाव में उत्तर पुस्तिकाओं के पुनः सत्यापन का आदेश देने की शक्ति का प्रयोग किया था, न कि स्वतंत्र रूप से योग्यता के आधार पर, उच्च न्यायालय की खण्डपीठ कार्यकारी परिषद के इस निर्णय को बरकरार रखने में सही थी, जिसके द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं के पुनः सत्यापन के प्राप्त परिणाम को निरस्त किया गया तथा उक्त परीक्षा विशेष में असफल घोषित किये गये परीक्षार्थिया को पूरक परीक्षा का आदेश दिया गया। -एन.टी.आर.स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का कानून खंड 1(3)

शिक्षाः

उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन - अभिनिर्धारितः विधिक रूप से बिल्कुल सही व अनुमेय है, यदि विश्वविद्यालय के अधिकारियों की राय है कि पुनर्मूल्यांकन आवश्यक है, तो न्यायालय अपने स्वयं के विचारों को प्रतिस्थापित करने मे े धीमा होगा और न्यायालय को शैक्षिक अधिकारियों द्वारा व्यक्त की गई राय के प्रति उचित सम्मान दिखाना चाहिये, जो शैक्षणिक मामलों के विशेषज्ञ हैं, जब तक कि निर्णय किसी वैधानिक या बाध्यकारी नियम या अध्यादेश का उल्लघंन न करता हो या मनमाना,

अनुचित या दुर्भावनापूर्ण न हो-प्रशासनिक कानून ।

अपीलकर्ता, प्रत्यर्थी विश्वविद्यालय द्वारा सितम्बर/अक्टूबर 2006 में आयोजित एम.बी.बी.एस. प्रथम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हुये। उक्त परीक्षा में कुल 992 छात्रों को "अनुतीर्ण" घोषित किया गया था, जिनमें से 436 ने अपने अंकों के पुनः योग के लिये आवेदन किया था। इस बीच, छात्रों की ओर से "एम.बी.बी.एस. प्रथम वर्ष विद्यार्थी अभिभावक संघ" के नाम से शिकायत की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि कुछ पेपरों का मूल्यांकन ठीक से नहीं किया गया और एक निश्चित पेपर में कुछ प्रश्न पाठ्यक्रम से बाहर थे। कुलपति ने तीन विशेषज्ञ प्रोफेसरों की एक समिति गठित की, जिसने उत्तर पुस्तिकाओं का पुनः सत्यापन किया। परिणाम स्वरूप, पुर्नमूल्यांकन के लिये आवेदन करने वाले 436 छात्रों में से 294 छात्रों को उत्तीर्ण घोषित कर दिया गया। इस पर विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद द्वारा विचार किया गया और अनुमोदित किया गया। इसके बाद दुबारा सत्यापन की प्रक्रिया में भी अनियमितताओं की शिकायतें की गई। अंततः विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद ने पुनर्मूल्यांकन की पूरी प्रक्रिया रद्द कर दी और सितम्बर/अक्टूबर 2006 में आयोजित की गई एम.बी.बी.एस प्रथम वर्ष की परीक्षा में असफल रहे सभी छात्रों को 25 अप्रैल वर्ष 2007 को होने वाली पूरक परीक्षा में फिर से उपस्थित होने का निर्देश दिया ।

पुनः सत्यापन के बाद उत्तीर्ण घोषित किये गये छात्रों द्वारा रिट याचिकायें दायर की गई। उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने रिट याचिकाओं को स्वीकार करते हुये अभिनिर्धारित किया कि कुलपति के पास उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिये एन.टी.आर स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम 1986 की धारा 12 (2) के तहत विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के पुर्नमूल्याकन करने के लिये कमेटी गठित करने की शक्ति थी और कार्यकारी परिषद को प्रदत्त किसी स्पष्ट शक्ति के अभाव में पुनः सत्यापन की पूरी प्रक्रिया को रद्द करना किसी भी तरह से उचित नहीं था।हालांकि, रिट अपील में खण्डपीठ ने कार्यकारी परिषद के आदेश और निर्देश को यह कहते हुये बरकरार रखा कि कुलपति के पास अधिनियम की धारा 12 (2) के तहत उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन का आदेश देने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं था। व्यथित होकर, रिट याचिकाकर्ताओं ने हस्तगत अपीलें दायर की।

न्यायालय द्वारा अपीलों का निस्तारण करते हुये-

अभिनिर्धारित: 1.1 उच्च न्यायालय की खण्डपीठ का यह मानना सही नहीं था कि विश्विद्यालय के कुलपति के पास उत्तर पुस्तिकाओं के पुनः सत्यापन का आदेश देने की कोई शक्ति या क्षेत्राधिकार नहीं था। एन.टी.आर. स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 1986 की धारा 12 (2) के प्रावधानों को और धारा 12 (3) और विश्वविद्यालय

अधिनियम की धारा 30 के अन्तर्गत बनाये गये खण्ड 1 (3) का संयुक्त और सार्थक वाचन करने से यह स्पष्ट होता है कि कुलपति के पास विश्वविद्यालय के मामलों से संबंधित उचित कार्यवाही करने की शक्ति है, जिसमें परीक्षा का आयोजन भी शामिल है। कुलपति को शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक मामलों के समग्र प्रशासन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन उद्देश्यों के लिये, मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कुलपति की महत्वपूर्ण स्थिति को ध्यान में रखते हुये, अधिनियम उन्हें व्यक्त और निहित दोनों शक्तियाॅं प्रदान करता है। यह मजिस्ट्रियल शक्तियाॅं है, जिसका स्पष्ट रूप से अनुमान लगाया जा सकता है। कानून के खण्ड 1 के उपखण्ड (3) के शब्द यह दर्शाते है कि यह देखने के लिये कि अधिनियम, कानून, अध्यादेश और विनियम के प्रावधानों का विधिवत् पालन किया गया है या नहीं, के संबंध में एक अवशिष्ट शक्ति जिसका प्रयोग यदि आवश्यक है तो यह शक्ति कुलपति में निहित है। कुलपति के पास किसी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिये आपातकालीन शक्तियाॅं भी है। धारा 12 (2) और 12(3) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियाॅं वास्तव में महत्वपूर्ण हैं। धारा 12 की उपधारा (3) यह प्रावधान करती है कि यदि कुलपति की राय में किसी भी मामले पर तत्काल कार्यवाही आवश्यक है तो वह विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी को अधिनियम के अन्तर्गत या अधिनियम के द्वारा प्रदत्त किसी भी शक्ति का प्रयोग कर सकता है और ऐसे मामले पर कुलपति द्वारा की गई कार्यवाही की रिपोर्ट उस

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी को देगा। (पैरा 8-9)

1.2 विशिष्ट प्रावधान के अभाव में उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन पूरी तरह से कानूनी और स्वीकार्य है। एक परीक्षक द्वारा अंक प्रदान करना निष्पक्ष होना चाहिये और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये कि उम्मीदवार के कहने पर कानून के तहत पुनर्मूल्यांकन की अनुमति नहीं है, परीक्षक को सावधान और सर्तक रहना होगा और यह सुनिश्चित करना उसका कत्तर्व्य है कि उत्तरों का उचित मूल्यांकन किया गया है, इसलिये, जहाॅं प्राधिकारियों को लगता है कि परीक्षक द्वारा अंक देना उचित नहीं है या परीक्षक उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करने में सावधान नहीं था तो पुनः मूल्यांकन करवाना आवश्यक पाया जा सकता है। यदि विश्वविद्यालय के प्राधिकारियो की राय है कि उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन आवश्यक है तो न्यायालय शैक्षणिक मामलों के विशेषज्ञों के विचारों के स्थान पर अपने विचारों को प्रतिस्थापित करने में धीमा होगा और जब तक कि निर्णय मनमाना, अनुचित, दुर्भावनापूर्ण न हो और निर्णय किसी वैधानिक या बाध्यकारी नियम या अध्यादेश का उल्लघंन नहीं करता हो तब तक प्राधिकारी द्वारा व्यक्त की गई राय के प्रति उचित सम्मान दिखाना चाहिये। (पैरा 9)

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बनाम प्रवास रंजन पाण्डा और अन्य (2004) 13 एस.सी.सी. 383 एवं प्रमोद कुमार श्रीवास्तव बनाम अध्यक्ष, बिहार

लोक सेवा आयोग 2004 (3) सप्लीमेंट्री एस.सी.आर. 372, (2004)6 एस.सी.सी. 714 - विशिष्टि प्रेरित।

2.1 वर्तमान मामले में, तथ्य यह दर्शाते हैं कि कुलपति ने छात्रों और उनके माता-पिता के दबाव और अनुचित प्रभाव में उत्तर पुस्तिकाओं के पुनः सत्यापन का आदेश देने की शक्ति का प्रयोग किया था, न कि योग्यता के आधार पर स्वतंत्र रूप से । यदि कुलपति की राय थी कि उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन करवाना आवश्यक था, तो उन्हें उन सभी 992 छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन का निर्देश देना चाहिए था जो असफल हो गए थे और उनका निर्देश केवल 436 छात्रों तक ही सीमित नहीं रह सकता था, जिन्होंने कभी उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिये आवेदन नहीं किया था, बल्कि उन्होंने केवल उत्तर पुस्तिकाओं पर दर्ज अपने अंकों के पुनर्योग के लिये आवेदन किया था, परन्तु रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि कुलपति सहित विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों द्वारा अभिभावक संघ द्वारा प्रस्तुत शिकायतों/अभ्यावेदन में लगाए गए आरोपों के गुण-दोष पर बिल्कुल गौर नहीं किया गया। पुनर्मूल्यांकन के लिये समिति द्वारा अपनाई गई पद्धति का कोई संकेत देने के लिये रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है, इसके अलावा इस उद्देश्य के लिये कुलपति द्वारा नियुक्त समिति के सदस्यों ने 1082 उत्तर पुस्तिकाओं का पुनः सत्यापन किया था और प्रक्रिया को दो दिनों में पूरा किया था जो स्वतः इंगित

करता है कि उक्त पुनर्मूल्यांकन ठीक से नहीं किया गया था और उसकी विश्वसनीयता नहीं थी।

2.2 गौरतलब है कि पुनः सत्यापन के आधार पर छात्रों का रिजल्ट रद्द करने और असफल छात्रों को एमबीबीएस प्रथम वर्ष की परीक्षा में दोबारा शामिल होने का मौका देने के कार्यकारी परिषद के फैसले को स्वयं कुलपति द्वारा अनुमोदित किया गया था। इसलिये, उत्तर पुस्तिकाओं के पुनः सत्यापन के आधार पर परिणामों को रद्द करने के कार्यकारी परिषद के फैसले को बरकरार रखना उच्च न्यायालय की खण्डपीठ के लिये उचित था। (पैरा 9)

2.3 जैसा कि विश्वविद्यालय की ओर से कहा गया है कि विश्वविद्यालय उन सभी छात्रों की पूरक परीक्षा आयोजित करेगा, जिन्होंने अभी तक एमबी.बीएस. प्रथम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है जो कि सितम्बर/अक्टूबर 2006 में आयोजित की गई थी। अंतरिम आदेशों के अनुसार, 294 छात्रों को एमबीबीएस द्वितीय वर्ष की पढ़ाई जारी रखने की अनुमति दी गई थी। यदि ऐसा कोई छात्र प्रथम वर्ष एम.बी.बी.एस की पूरक परीक्षाओं मेंें अनुतीर्ण हो जाता है तो उसके एमबीबीएस द्वितीय वर्ष के परिणाम रोक दिये जायेगें या उसके आगे के अध्ययन का निर्णय ऐसे छात्रों पर लागू विश्वविद्यालय के नियमों और विनियमों के अनुसार किया जायेगा। (पैरा 10)

संदर्भित न्याय निर्णय

(2004) 13 एससीसी 383	विशिष्ट	पैरा संख्या 09
2004(3) अनुपूरक एससीआर 372	विशिष्ट	पैरा संख्या 09

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार वर्ष 2008 की सिविल अपील संख्या 6202,आन्धप्रदेश उच्च न्यायालय, हैदराबाद के द्वारा रिट अपील संख्या 402/2007 में पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 20.07.2007 से

साथ

सिविल अपील नंबर 6203, 6204, 6206-11 एवं 6212/2008

पक्षकारों की ओर से उपस्थित अधिवक्तागणः-

गोपाल सुब्रमण्यम, ए.एस.जी, टी.आर अंध्यारूजिना, वी कनगराज, अल्ताफ अहमद, एम.एन. राव, एल.एन.राव, जी.वी.आर.चैधरी, के. शिवराज चैधरी, गुंटूर प्रभाकर, अल्ताफ फातिमा, एम. विजया भास्कर, वाई. राजा गोपाल राव, डी.वी. नागार्जुन बाबू, वाई. रमेश, विस्मई राव, शकील अहमद सईद, मनोज सक्सेना, रजनीश कुमार सिंह और राहुल शुक्ला (टीवी जाॅर्ज के लिये)

न्यायालय का निर्णय न्यायाधिपति जे. एम. पांचाल द्वारा सुनाया गया।

1. सभी विशेष अनुमति याचिकाओं में अनुमति प्रदान की गई।

2. हस्तगत अपीलें वर्ष 2007 की रिट अपील संख्या 402 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, हैदराबाद की खण्ड पीठ द्वारा दिए गए 20 जुलाई 2007 के फैसले और अन्य संबंधित अपीलों के खिलाफ निर्देशित हैं, जिनके द्वारा कॉमन निर्णय दिनांक 1 मई 2007, उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा डॉ. एन.टी. आर. स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, विजयवाड़ा (संक्षेप में ''विश्वविद्यालय'')के कुलपति द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2006-07 के दौरान एमबीबीएस प्रथम वर्ष की परीक्षा में अनुतीर्ण हुए 436 छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं का पुनः सत्यापन/ पुनर्मूल्यांकन/पुनः जांच की कार्यवाही को बरकरार रखा गया और खण्ड पीठ द्वारा इसे रद्द किया गया और कार्यकारी परिषद के उत्तर पुस्तिकाओं के पुनः सत्यापन के परिणाम को रद्द करने तथा 294 छात्रों को, जो उत्तर पुस्तिकाओं के पुनः मूल्याकंन के पश्चात् उत्तीर्ण घोषित किये गये थे, उन्हें एम.बी.बी.एस. प्रथम वर्ष की परीक्षा में पुनः उपस्थित होने के लिए कहने के कार्यकारी परिषद के निर्णय को बरकरार रखा गया।

3. अपीलकर्ता, जो छात्र हैं, ने शैक्षणिक वर्ष 2006-07 के लिए विजयवाड़ा विश्वविद्यालय से संबद्व विभिन्न निजी मेडिकल कॉलेजो में एमबीबीएस प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया था। वे 05 सितम्बर 2006 से 10 अक्टूबर, 2006 तक आयोजित एम.बी.बी.एस प्रथम वर्ष की

परीक्षा में उपस्थित हुये। परीक्षा के परिणाम 02 दिसम्बर, 2006 को घोषित किये गये। रिकॉर्ड से पता चलता है कि कुल 4076 छात्र परीक्षा में उपस्थित हुए थे, जिनमें से 992 छात्रों को विभिन्न पेपरों में अनुत्तीर्ण घोषित किया गया था। विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित परिणामों में, यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया था कि ऐसे छात्र जो अपने सैद्धांतिक उत्तर पुस्तिकाओं के पुनः योग के लिये व्यक्तिगत रूप से शामिल होना चाहते थे, उन्हें 13 दिसंबर , 2006 को या उससे पहले अपना आवेदन जमा करना चाहिए। इसका उद्देश्य छात्रों को व्यक्तिगत रूप से अपनी उत्तरपुस्तिकाओं के पुनः योग के लिए आवेदन करने में सक्षम बनाना था। अनुत्तीर्ण हुए 992 छात्रों में से 436 छात्रों ने अपनी-अपनी उत्तरपुस्तिकाओं के पुनः योग के लिए आवेदन किया। जब पुनर्गणना की प्रक्रिया चल रही थी, तब छात्रों की ओर से एमबीबीएस प्रथम वर्ष छात्र अभिभावक संघ के नाम पर कुछ अभ्यावेदन महामहिम राज्यपाल, जो विश्वविद्यालय के कुलाधिपति है , और माननीय चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री के साथ-साथ विश्वविद्यालय के कुलपति को संबोधित किए गए थे, जिनमें उत्तरपुस्तिकाओं के अनुचित और कम मूल्यांकन की शिकायत की गई थी । शिकायतों में, यह कहा गया था कि तीन पेपरों यानी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायो-केमिस्ट्री की उत्तरपुस्तिकाओं का उचित मूल्यांकन नहीं किया गया था और मूल्यांकन कठोर था, जबकि फिजियोलॉजी में कुछ प्रश्न पाठयक्रम से बाहर थे और इन सभी कारकों के कारण छात्रों का

प्रतिशत कम हो गया, जिन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण की थी, वे कम थे। छात्रों का कहना था कि कुलपति ने उनकी शिकायतें सुनने के बाद आश्वासन दिया कि वह उत्तरपुस्तिकाओं की जाॅंच करायेंगे और यदि जरूरी हुआ तो उनकी पुनः जांच भी करवायेंगे। प्राप्त शिकायतों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, कुलपति ने उत्तरपुस्तिकाओं के पुनर्सत्यापन/पुनर्मूल्यांकन/ पुनः जांच के लिए 3 जनवरी 2007 को तीन विशेषज्ञ प्रोफेसरों की एक समिति का गठन किया। समिति ने उत्तरपुस्तिकाओं का पुनः सत्यापन किया और कागजों की मुद्रित पर्चियों पर अंक दर्ज किये, जिन्हें उत्तरपुस्तिकाओं के शीर्ष पर स्टेपल किया गया था। कुलपति द्वारा नियुक्त समिति द्वारा किये गये पुनः सत्यापन के बाद, विश्वविद्यालय ने 2 फरवरी 2007 को संशोधित परिणाम घोषित किये और 436 में से 294 छात्रों, जिन्होंने पुनर्गणना के लिए आवेदन किया था, को ''उत्तीर्ण '' घोषित किया गया। सितंबर/अक्टूबर, 2006 में आयोजित प्रथम वर्ष की एमबीबीएस परीक्षा की उत्तरपुस्तिकाओं की पुनःयोग और पुनः सत्यापन की कुलपति द्वारा की गई कार्यवाही को इसके अनुसमर्थन के लिये कार्यकारी परिषद के समक्ष रखा गया था। इस मामले पर कार्यकारी परिषद ने विचार किया था और परिषद ने कुलपति द्वारा की गई कार्यवाही को मन्जूरी दे दी थी। संशोद्यित परिणाम मेडिकल काॅलेजों के प्राचार्यों को भेज दिये गये। पुनर्मूल्यांकन के परिणामाें की घोषणा के बाद, महामहिम, राज्य के राज्यपाल, साथ ही चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और विश्वविद्यालय के

कुलपति को सूचना और शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें कहा गया था कि इसमें अनियमितताएं की गई हैं । पुनः सत्यापन की प्रक्रिया के बाबत् मीडिया में उपजे विवाद के कारण महामहिम राज्यपाल ने उन्हें प्राप्त शिकायतों को उचित कार्यवाही के लिए विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद को भेज दिया। सितंबर/अक्टूबर 2006 में आयोजित प्रथम वर्ष की एमबीबीएस परीक्षा से संबधित उत्तरपुस्किाओं के पुनः योग और पुनः सत्यापन की कार्यवाही पर विचार करने के लिए विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद की एक बैठक बुलाई गयी थी। कार्यकारी परिषद ने आन्ध्रप्रदेश सरकार से उन परिस्थितियों की जांच करने के लिए जिनके तहत उत्तरपुस्तिकाओं का पुनः सत्यापन किया गया था,उच्च स्तरीय समिति का गठन करने के लिये जो यह पता लगायेगी कि क्या कोई अनियमितता हुई थी, पूछने का निर्णय लिया। कार्यकारी परिषद ने जाॅंच रिपोर्ट प्रस्तुत होने तक प्रथम वर्ष एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम के संशोद्यित परिणामों की घोषणा को रोकने और संबंधित मेडिकल काॅलेजों के प्राचार्यों को इसकी सूचना देने का निर्णय लिया। तदनुसार, 2 फरवरी 2007 को पत्र द्वारा मेडिकल काॅलेजों के प्राचार्यों को सूचित किया गया था कि वे एमबीबीएस प्रथम वर्ष की उत्तरपुस्तिकाओं के पुनः सत्यापन पर प्राप्त परिणामों को प्रभावी न करें। कार्यकारी परिषद के संकल्प के अनुसरण में, विश्वविद्यालय ने दो बार आंध्रप्रदेश सरकार से एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का अनुरोध किया लेकिन सरकार ने विश्वविद्यालय के

अनुरोध पर उच्च स्तरीय समिति का गठन नहीं किया। इस बीच, उत्तरपुस्किाओं के पुनर्मूल्यांकन के लाभार्थियों द्वारा उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी, जिसमें उन्हें एम.बी.बी.एस पाठयक्रम के दूसरे वर्ष में भाग लेने की अनुमति देने का निर्देश देने की मांग की गई थी। पूरे मामले की जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी गठित करने का रजिस्ट्रार द्वारा सरकार से किया गया अनुरोध तो नहीं माना गया, लेकिन सरकार ने मामला राज्य के कानून विभाग और चिकित्सा विभाग को भेज दिया। चिकित्सा विभाग कुलपति की कार्यवाही से सहमत नहीं हुआ। अंततः मुख्य सचिव ने इस मामले में राज्य के विद्वान महाधिवक्ता की राय मांगी, जिन्होंने अपने पत्र दिनांक 29-03-07 द्वारा यह राय दी कि उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की अनुमति देने का कुलपति का निर्णय कानून/प्रक्रिया के प्रावाधानों के अनुरूप नहीं था। विद्वान महाधिवक्ता के अनुसार, केवल इसलिए कि छात्रों/छात्रों के अभिभावकों से कुछ अभ्यावेदन/शिकायतें प्राप्त हुई थीं, कुलपति को उत्तर पुस्तिकाओं के पुनः सुधार का आदेश नहीं देना चाहिए था, विशेष रूप से, जब अधिनियम में ऐसा करने का कोई प्रावधान नहीं है । विद्वान महाधिवक्ता ने राय व्यक्त की कि विश्वविद्यालय, एक स्वायत्त निकाय होने के नाते, पूरे मामले की जांच के उद्देश्य से मामले को सरकार के पास भेजने की कोई आवश्यकता नहीं थी और इसलिए, विश्वविद्यालय द्वारा किया गया संदर्भ/अनुरोध सरकार द्वारा मामले की जांच एनटीआर स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय

अधिनियम 1986 (संक्षेप में "अधिनियम") की धारा 12(3) के प्रावधानों के अनुरूप नहीं था।

विद्वान महाधिवक्ता की राय को ध्यान में रखते हुए 2 अप्रैल 2007 को कार्यकारी परिषद की बैठक बुलाई गई थी। कुलपति ने कार्यकारी परिषद के अन्य सदस्यों को सूचित किया कि जो छात्र अनुत्तीर्ण हो गए थे, उनके व उनके माता-पिता के दबाव के कारण उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन का आदेश दिया गया था, मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, कार्यकारी परिषद ने विद्वान महाधिवक्ता की राय से सहमति व्यक्त की और सर्वसम्मति से पुनर्मूल्यांकन की पूरी प्रक्रिया को रद्द कर दिया। कार्यकारी परिषद की राय थी कि असफल छात्रों को परीक्षा में फिर से बैठने का अवसर दिया जाना चाहिए और इसलिए, उसने सितंबर/अक्टूबर 2006 की परीक्षा में असफल हुए छात्रों को उस परीक्षा में फिर से बैठने का निर्देश दिया जो 25 अप्रैल 2007 को आयोजित होने वाली थी।

4. छात्रों और उनके माता-पिता की राय थी कि कार्यकारी परिषद द्वारा पुनर्मूल्यांकन की पूरी प्रक्रिया को रद्द करना उचित नहीं था, जो कुलपति के आदेश के अनुसार की गई थी और न ही कार्यकारी परिषद द्वारा 25 अप्रैल, 2007 को पुनः आयोजित होने वाली प्रथम वर्ष की एमबीबीएस परीक्षा में छात्रों को दुबारा शामिल होने के लिये कहना उचित था, इसलिए उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय

के असाधारण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने हेतु रिट याचिका संख्या 8658/2007 और अन्य दायर की।

5. उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश की राय थी कि कुलपति के पास अधिनियम की धारा 12(2)के तहत छात्रों की उत्तरपुस्तिकाओं के पुनः सत्यापन के लिए समिति नियुक्त करने की शक्ति है कार्यकारी परिषद या अकादमिक परिषद को प्रदत्त किसी भी स्पष्ट शक्ति के अभाव में कार्यकारी परिषद द्वारा कुलपति के आदेश पर पुनः सत्यापन के लिए की गई पूरी प्रक्रिया को रद्द करना उचित नहीं था। उपर्युक्त निष्कर्षों के मद्देनजर, विद्वान एकल न्यायाधीश ने 1 मई 2007 के फैसले के तहत छात्रों द्वारा दायर रिट याचिकाओं को अनुमति दी।

6. व्यथित महसूस करते हुए, विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने रिट अपील संख्या 402/2007 और अन्य संबंधित अपीलें दायर की। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने यह विचार किया कि विश्वविद्यालय के कुलपति के पास अधिनियम की धारा 12 (2)के तहत छात्रों की उत्तरपुस्तिकाओं के पुनः सत्यापन का आदेश देने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है और इसलिए, कार्यकारी परिषद को पुनर्मूल्यांकन की पूरी प्रक्रिया को रद्द करने के साथ-साथ छात्रों को प्रथम वर्ष की एमबीबीएस परीक्षा, जो 25 अप्रैल, 2007 को होने वाली थी, में फिर से उपस्थित होने का निर्देश देना उचित है। इन निष्कर्षों के मद्देनजर, उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने हस्तगत

अपीलों को जन्म देते हुए विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार द्वारा दायर रिट अपीलों को अनुमति दे दी।

7. इस न्यायालय ने पक्षकारों के विद्वान वकीलों को विस्तार से सुना है। इस न्यायालय ने अपीलों का हिस्सा बनने वाले दस्तावेजों पर भी विचार किया है।

मामले के रिकाॅर्ड से यह स्पष्ट है कि कुल मिलाकर 4076 छात्र एमबीबीएस प्रथम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हुये थे, जो 5 सितंबर, 2006 और 10 अक्टूबर, 2006 के बीच आयोजित की गई थी। परीक्षा के परिणाम 2 दिसंबर, 2006 को घोषित किए गए थे विभिन्न पेपरों में 992 छात्र अनुत्तीर्ण घोषित किये गये। अनुत्तीर्ण घोषित किए गए 992 छात्रों में से 436 छात्रों ने तीन अलग-अलग पेपरों में परीक्षकों द्वारा दिये गये अंकों के पुनःयोग के लिये आवेदन किया था, जब पुनः योग की यह प्रक्रिया चल रही थी, तब छात्रों की ओर से एम.बी.बी.एस. प्रथम वर्ष के छात्र अभिभावक संघ के नाम से उत्तर पुस्तिकाओं के अनुचित और कम मूल्यांकन की शिकायतों के साथ विश्वविद्यालय और कुलपति को कुछ अभ्यावेदन प्रस्तुत किए गए थे। रिकाॅर्ड से पता चलता है कि कुलपति ने उत्तरपुस्तिकाओं के पुनः सत्यापन का निर्देश दिया। 3 जनवरी 2007 को कुलपति ने उत्तरपुस्तिकाओं के पुनः सत्यापन के लिए तीन प्रोफेसरों की एक समिति गठित की। समिति ने पुनः सत्यापन किया और उत्तर पुस्तिकाओं के शीर्ष

पर स्टेपल किये गये पेपर की मुद्रित पर्चियों पर अंक दर्ज किये, कुलपति द्वारा गठित समिति द्वारा किये गये पुनः सत्यापन के आधार पर विश्वविद्यालय ने 02 फरवरी, 2007 को संशोद्यित परिणाम घोषित किये, जिसके द्वारा 436 छात्रों में 294 छात्रों, जिन्होंने पुनः योग के लिये आवेदन किया था, को ''उत्तीर्ण'' घोषित किया गया। इसके बाद, विश्वविद्यालय के उच्चतम अधिकारियों को सूचना और शिकायतें मिलीं कि पुनः सत्यापन की प्रक्रिया में अनियमिततायें की गईं। शिकायतों की पृष्ठभूमि में, इस सवाल पर विचार करने के लिये मामले को कार्यकारी परिषद के समक्ष रखा गया था कि क्या विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं के पुनः सत्यापन के लिये की गई कार्यवाही वैद्य थी। कुलपति ने कार्यकारी परिषद के समक्ष सहमति व्यक्त की कि उन्होंने छात्रों और उनके अभिभावकों के अनुचित प्रभाव व दबाव में पुनः सत्यापन का आदेश दिया था। मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुये, कार्यकारी परिषद ने उत्तर पुस्तिकाओं के पुनः सत्यापन का निर्देश देने वाली कुलपति की कार्यवाही को मन्जूरी नहीं दी और पुनः सत्यापन की पूरी प्रक्रिया रद्द कर दी। कार्यकारी परिषद की यह भी राय थी कि असफल छात्रों को परीक्षा में दुबारा बैठने का अवसर दिया जाना चाहिये और इसलिये, उसने उन छात्रों को, जो असफल हो गये थे, प्रथम वर्ष की एम.बी.बी.एस. परीक्षा में फिर से उपस्थित होने का निर्देश दिया, जिसका कि 25 अप्रैल 2007 को आयोजित किया जाना निर्धारित था।

8. उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने विद्वान् एकल न्यायाधीश के फैसले को इस आधार पर रद्द कर दिया कि विश्वविद्यालय के कुलपति के पास उत्तर पुस्तिकाओं के पुनः सत्यापन का आदेश देने की कोई शक्ति नहीं थी। अधिनियम की धारा 12(2) इस प्रकार हैः-,

> "कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यकारी और शैक्षणिक अधिकारी होगा और विश्वविद्यालय के मामलों पर सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण करेगा और विश्वविद्यालय के सभी प्राधिकारियों के निर्णयों को प्रभावी करेगा। "

धारा 12 की उपधारा (3) में प्रावधान है कि कुलपति, यदि उनकी राय है कि किसी भी मामले पर तत्काल कार्यवाही आवश्यक है, अधिनियम के तहत विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी को अधिनियम के अन्तर्गत या अधिनियम के द्वारा प्रदत्त किसी भी शक्ति का प्रयोग कर सकता है और ऐसे मामले पर कुलपति द्वारा की गई कार्यवाही की रिपोर्ट उस विश्वविद्यालय के प्राधकारी को देगा। उपधारा (3) में यह प्रावधान किया गया है कि यदि संबंधित प्राधिकारी की राय में ऐसी कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए, तो वह मामले को कुलाधिपति के पास भेज सकता है, जिसका निर्णय अंतिम होगा।

9. अधिनियम की धारा 12 (2) के प्रावधानों को और धारा 12 (3) के साथ संयुक्त और सार्थक वाचन करने से यह स्पष्ट होता है कि कुलपति के पास विश्वविद्यालय के मामलों से संबंधित उचित कार्यवाही करने की शक्ति है, जिसमें परीक्षा का आयोजन भी शामिल है। कुलपति विश्वविद्यालय का जागरूक संरक्षक होता है। वह विश्वविद्यालय के प्रमुख कार्यकारी व शैक्षणिक अधिकारी हैं। उन्हें शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक मामलों के समग्र प्रशासन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन उद्देश्यों के लिये, अधिनियम कुलपति को व्यक्त और निहित दोनों शक्तियाॅं प्रदान करता है। अधिनियम की धारा 30 कार्यकारी परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान करती है। उस शक्ति का प्रयोग करते हुये,कार्यकारी परिषद ने विश्वविद्यालय की परिनियमावली तैयार की है। परिनियमावली का खण्ड 1 कुलपति की स्थिति और उसकी शक्तियों और कर्तव्यों से संबंधित है। परिनियमावली के खण्ड 1 के उप-खण्ड (3) में प्रावधान है कि यह देखना कुलपति का कर्तव्य होगा कि इस अधिनियम, परिनियमावली, अध्यादेशों और विनियमों के प्रावधानों का विधिवत् पालन किया जाये और वह इस उद्देश्य के लिये आवश्यक सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। इस प्रकार व्यक्त शक्तियों में अन्य बातों के अलावा, यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य भी शामिल है कि अधिनियम, परिनियमावली, अध्यादेशों और विनियमों के प्रावधानों का सभी संबंधितों द्वारा पालन किया जाता है। परनियमावली के खण्ड 1 के उप-खण्ड (3) के शब्दों से पता चलता है कि

अधिनियम, कानून, अध्यादेशों और विनियमों के प्रावधानों का विधिवत् पालन किया गया है या नहीं, के संबंध में एक अवशिष्ट शक्ति जिसका प्रयोग यदि आवश्यक है तो यह शक्ति कुलपति में निहित है। कुलपति को विश्वविद्यालय के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के कार्य व आचरण को विनियमित करने का अधिकार है। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिये उसके पास आपातकालीन शक्तियाॅं भी है। धारा 12 (2) और 12 (3) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियाॅं वास्तव में महत्वपूर्ण है। यदि कुलपति का मानना है कि किसी स्थिति में तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता है, तो वह ऐसी कार्यवाही कर सकता है, जिसे वह आवश्यक समझता है, हालांकि सामान्य परिस्थितियों में वह कार्यवाही करने में सक्षम नहीं है। हालांकि, उसे संबंधित प्राधिकारी या निकाय को रिपोर्ट करना होगा, जो सामान्य प्रक्रिया में मामले से निपटेगा। इतना ही नहीं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में उनकी महत्वपूर्ण स्थिति उनके साथ कुछ निहित शक्तियाॅं भी रखती है। यह मजिस्ट्रियल शक्ति है, जिसका स्पष्ट रूप से अनुमान लगाया जा सकता है। विश्वविद्यालय के शैक्षणिक व गैर-शैक्षणिक मामलों मेेें घरेलु अनुशासन बनाये रखने के लिये यह शक्ति उसके लिये आवश्यक है। शिक्षक व शिष्य के संबंधों में विभिन्न प्रकार की स्थितियों में उसे अनुशासनहीनता और कदाचार को रोकने के लिये दृढतापूर्वक और तत्परता से कार्य करना पड़ता है। विश्वविद्यालय के कानून के अनुसार, कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होता है और अपने पद

के आधार पर, कार्यकारी परिषद और अकादमिक परिषद का सदस्य और अध्यक्ष होता है। उसे कार्यकारी परिषद और अकादमिक परिषद की बैठकें बुलाने की शक्ति है।

यह दलील कि कुलपति को उत्तर पुस्तिकाओं के पुनः मूल्यांकन का आदेश देने में सक्षम करने वाले विशिष्ट प्रावधान का अभाव है और इसलिये, दिये गये निर्णय में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिये, स्वीकार नहीं किया जा सकता है। विशिष्ट प्रावधान के अभाव में उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन पूरी तरीके से कानूनी और स्वीकार्य है। ऐसे मामलों में, न्यायालय को इस बात पर विचार करना चाहिये कि क्या शैक्षणिक प्राधिकारी का निर्णय मनमाना, अनुचित, दुर्भावनापूर्ण है और क्या निर्णय किसी वैधानिक या बाध्यकारी नियम या अध्यादेश का उल्लंघन करता है और ऐसा करने में, न्यायालय को प्राधिकारी द्वारा व्यक्त की गई राय के प्रति उचित सम्मान दिखाना चाहिये। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बनाम प्रवास रंजन पाण्डा और अन्य (2004) 13 एस.सी.सी. 383, प्रत्यर्थी संख्या 01, प्रवास रंजन पाण्डा एक नियमित उम्मीदवार के रूप में हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा, 2003 में उपस्थित हुआ, उन्होंने उक्त परीक्षा लगभग 90 प्रतिशत अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण की। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका दायर की जिसमें आरोप लगाया गया कि उन्होंने बिना कोई गलती किये सभी प्रश्नों का सही उत्तर दिया था और इसलिये,

प्रत्येक पेपर मेें पूर्ण अंक के हकदार थे, लेकिन अनुभवहीन और अयोग्य परीक्षकों की नियुक्ति में बोर्ड की लापरवाही के कारण कुछ पेपरों में, उन्हें कम अंक दिये गये, जिसके कारण उन्होंने एच.एस.सी. परीक्षा, 2003 में पहले 10 परीक्षार्थियों में शामिल होने का मौका खो दिया था, उनकी उत्तर पुस्तिका के पुर्नमूल्यांकन के लिये प्रार्थना की गई थी। उच्च न्यायालय ने बोर्ड को यह निर्देश देते हुये याचिका का निस्तारण कर दिया कि एच.एस.सी. परीक्षा 2003 में कुल मिलाकर 90 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं की दुबारा जाॅंच की जाये और यदि अंकों में कोई बदलाव या भिन्नता हो तो याचिकाकर्ता को सूचित किया जाना चाहिये। जिन उम्मीदवारों ने कुल मिलाकर 90 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त किये हैं और उन्होंने कुुछ उत्तरपुस्तिकाओं में अंकों की पुनः जाॅंच और पुर्नयोग के लिये आवेदन किया था, तो उनकी उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः जाॅंच और पुर्नयोग की प्रक्रिया बोर्ड के संकल्प के अनुसार रहेगी।

बाद में बोर्ड द्वारा एक पुनर्विलोकन याचिका दायर की गई थी, जिसमेें यह कहा गया था कि बोर्ड को परिणामों के प्रकाशन के बाद सभी उत्तर पुस्तिकाओं की संविक्षा और जाॅंच करने में भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ेगा। यह भी कहा गया कि 217 परीक्षार्थियों ने परीक्षा में 90 प्रतिशत और उससे अधिक अंक प्राप्त किये थे और उत्तर

पुस्तिकाओं की दुबारा जाॅंच के लिये मुख्य परीक्षक स्तर के 27 परीक्षकों की आवश्यकता होगी और तीसरी भाषा के विषय की जाॅंच के लिये कुछ और परीक्षकों की आवश्यकता होगी। हालांकि, पुनर्विलोकन याचिका खारिज कर दी गई। अपील में सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि यद्यपि उच्च न्यायालय ने यह पाया कि रिट याचिकाकर्ता जिसने परीक्षा दी थी, वह अपनी योग्यता का आंकलन करने और उस आधार पर उत्तरपुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन का दावा करने के लिये शायद ही सक्षम व्यक्ति था, परन्तु फिर भी उच्च न्यायालय ने उपरोक्त निर्देश दिया ताकि अंकों में मामूली अंतर के कारण अन्याय की संभावना को खत्म किया जा सके। सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष यह स्वीकार किया गया कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, उड़ीसा के विनियमों में छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय की राय थी कि क्या इस आशय के किसी प्रावधान के अभाव में एक परीक्षार्थी अपनी उत्तर पुस्तिकाओं के पुर्नमूल्यांकन के लिये कहने का हकदार है, इस सवाल की जाॅंच सर्वोच्च न्यायालय ने प्रमोद कुमार श्रीवास्तव बनाम अध्यक्ष, बिहार लोक सेवा आयोग (2004)6 एस.सी.सी. 714 में की थी। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह देखा गया कि उक्त निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिये नियमों के अभाव में कोई निर्देश जारी नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के एक निर्देश से कई समस्याएें उत्पन्न होंगी और व्यापक जनहित में ऐसे निर्देश

से बचना चाहिये। इसलिये, सर्वोच्च न्यायालय ने राय व्यक्त की कि 90 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले सभी परीक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन का निर्देश देने वाला उच्च न्यायालय का आदेश विधि की दृष्टि से स्पष्ट रूप से स्थिर रखने योग्य नहीं था और उसे रद्द कर दिया। उपरोक्त निर्णय छात्र या उम्मीदवार के अपने उत्तर पुस्तिका के पुनः जाॅंच/पुनर्मूल्यांकन का दावा करने के अधिकार और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन का आदेश देने की उच्च न्यायालय की शक्ति से संबंधित है। यह निर्णय यदि तथ्यात्मक परिदृश्य की मांग हो तो उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन का आदेश देने की बोर्ड की शक्ति से संबंधित नहीं है। एक परीक्षक द्वारा अंक प्रदान करना निष्पक्ष होना चाहिये और इस तथ्य पर विचार करते हुऐ कि उम्मीदवार के कहने पर अधिनियम के तहत पुनर्मूल्यांकन की अनुमति नहीं है, परीक्षक को सावधान रहना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि उत्तर पुस्तिकाओं का उचित मूल्यांकन किया गया है। इसलिये,जहाॅं प्राधिकारियों को लगता है कि परीक्षक द्वारा अंक देना उचित नहीं है या परीक्षक उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन में सावधान नहीं था तो पुनर्मूल्यांकन आवश्यक पाया जा सकता है। ऐसे कई उदाहरण हो सकते हैं, जिनमें उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन का आदेश देने की आवश्यकता हो सकती है और इस न्यायालय को इसकी विस्तृत सूची बनाने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, यदि प्राधिकारियों की राय है कि उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन आवश्यक है तो न्यायालय

उन लोगों के विचारों को प्रतिस्थापित करने में धीमा होगा जो अकादमिक मामलों मे विशेषज्ञ हैं। इन परिस्थितियों में, प्रत्यर्थियों की ओर से दी गई दलील कि एन.टी.आर. स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति के पास उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन का आदेश देने का कोई अधिकार नहीं है, को बरकरार नहीं रखा जा सकता है। इसलिये यह न्यायालय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा दिये गये निष्कर्ष से सहमत नहीं है कि विश्वविद्यालय के कुलपति के पास उत्तर पुस्तिकाओं के पुनः सत्यापन का आदेश देने की कोई शक्ति या अधिकार क्षेत्र नहीं था। हालांकि, तथ्य यह इंगित करते हैं कि कुलपति ने छात्रों और उनके अभिभावकों के अनुचित प्रभाव व दबाव में उत्तर पुस्तिकाओं के पुनः सत्यापन का आदेश देने की शक्ति का प्रयोग किया था, ना कि योग्यता के आधार पर स्वतंत्र रूप से। जैसा कि पहले देखा गया है कि, 436 छात्रों ने अंकों के पुनः योग की मांग की थी। यदि कुलपति की राय थी कि उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन करवाना आवश्यक था, तो उन्हें उन सभी 992 छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन का निर्देश देना चाहिए था जो असफल हो गए थेे और उनका निर्देश केवल 436 छात्रों तक ही सीमित नहीं रह सकता था, जिन्होंने कभी उत्तर पुस्तिकाओं के पुनः मूल्यांकन के लिये आवेदन नहीं किया था, बल्कि उन्होंने केवल उत्तर पुस्तिकाओं पर दर्ज अपने अंकों के पुनर्योग के लिये आवेदन किया था, रिकाॅर्ड से यह स्पष्ट है कि कुलपति सहित विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों द्वारा अभिभावक संघ द्वारा प्रस्तुत

शिकायतों/अभ्यावेदन में लगाए गए आरोपों के गुण-दोष पर बिल्कुल गौर नहीं किया गया कि उनमें थोड़ी भी सच्चाई थी या नहीं। पुनर्मूल्यांकन के लिये समिति द्वारा अपनाई गई पद्धति का कोई संकेत देने के लिये रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है, इसके अलावा इस उद्देश्य के लिये कुलपति द्वारा नियुक्त समिति के सदस्यों ने 1082 उत्तर पुस्तिकाओं का पुनः सत्यापन किया था और प्रक्रिया को दो दिनों में पूरा किया था जो स्वतः इंगित करता है कि उक्त पुनर्मूल्यांकन ठीक से नहीं किया गया था और उसकी विश्वसनीयता नहीं थी। गौरतलब है कि पुनः सत्यापन के आधार पर छात्रों का रिजल्ट रद्द करने और असफल छात्रों को एमबीबीएस प्रथम वर्ष की परीक्षा में दोबारा शामिल होने का मौका देने के कार्यकारी परिषद के फैसले को स्वयं कुलपति द्वारा अनुमोदित किया गया था। इसलिये, इस न्यायालय की राय है कि उत्तर पुस्तिकाओं के पुनः सत्यापन के आधार पर परिणामों को रद्द करने के कार्यकारी परिषद के फैसले को बरकरार रखना उच्च न्यायालय की खण्डपीठ के लिये उचित था।

10. प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान् अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री गोपाल सुबमण्यम् ने कहा है कि विश्विद्यालय उन छात्रों की पूरक परीक्षा आयोजित करने का ईच्छुक है, जिन्होंने अभी तक प्रथम वर्ष की एम.बी.बी.एस परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है, इसलिये, एन.टी.आर. स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय को उन सभी छात्रों की पूरक परीक्षा

आयोजित करने का निर्देश दिया गया है, जिन्होंने सितम्बर/अक्टूबर 2006 मे आयोजित एम.बी.बी.एस. प्रथम वर्ष की परीक्षा अभी तक उत्तीर्ण नहीं की है। अंतरिम आदेशों के अनुसार, 294 छात्रों को एम.बी.बी.एस. द्वितीय वर्ष में पढ़ाई जारी रखने की अनुमति दी गई थी। यदि ऐसा कोई छात्र प्रथम वर्ष एम.बी.बी.एस की पूरक परीक्षाओं मेंें अनुत्तीण हो जाता है तो उसके एमबीबीएस द्वितीय वर्ष के परिणाम रोक दिये जायेंगे या उसके आगे के अध्ययन का निर्णय ऐसे छात्रों पर लागू विश्वविद्यालय के नियमों और विनियमों के अनुसार किया जायेगा। यहाँँ स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त निर्देश केवल उन छात्रों पर लागू होगें, जो 05 सितम्बर, 2006 और 10 अक्टूबर, 2006 के मध्य आयोजित एम.बी.बी.एस. प्रथम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हुये थे और असफल हुये थे। ऊपर दिये गये निर्देश के अधीन, इस न्यायालय ने पाया कि अपीलकर्ता द्वारा कोई भी आधार नहीं सुझाया गया, जिससे खण्डपीठ द्वारा दिये गये अंतिम निष्कर्ष में हस्तक्षेप किया जाए। तदअनुसार अपीलों का निस्तारण किया जाता है। खर्चे के संबंध में कोई आदेश नहीं है।

अपीलों का निस्तारण किया गया।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी श्री राकेश कुमार शर्मा, (आर.जे.एस.) न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय चित्तौडगढ़ द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिये स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।